In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services -Chairman (2) Dy. Director and Scientist D, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services -Member (3) An officer from Ministry of Home Affairs, not below the rank of Under Secretary to the Government of India –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. DFSS/2/3/2004-Adm(FS)]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 131.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संघ लोक सेवा आयोग, विभागीय कैंटीन, समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2002 को, जहाँ तक उनका संबंध रोकड़िया, भंडारी, कैंटीन लिपिक, हलवाई, रसोइया, सहायक हलवाई, बेयरा, चाय/काफी बनाने वाला, वाशबाय और सफाई कर्मचारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के विभागीय कैंटीन में समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-**

   (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, विभागीय कैंटीन, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2021 है।

   (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना:-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगें जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि. –** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता - वह व्यक्ति-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी	02* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500 - 81100)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : (i) ऐसे लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु. 19900-63200/-) में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; या (ii) ऐसे हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (रु. 21700-69100/-) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और जिन्हें भंडार या लेखा संभालने का दो वर्ष का अनुभव हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पुरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति :-** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी - क. (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 2 (19900-63200/-) में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और ख. जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) किसी सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में भंडार या लेखा संभालने का तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण-1 :** प्रतिनियुक्त की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण-2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण-3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	**(13)**
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (2) अवर सचिव (साधारण शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य (3) अवर सचिव (भर्ती शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. लिपिक	06* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900 - 63200/-)	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच **टिप्पण-1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति की बाबत 45 वर्ष तक) की जा सकती है। **टिप्पण-2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी ।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वी कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रतिमिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति । (प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की डिप्रैशन के औसत पर 10500 की डिप्रैशन प्रतिघंटा या 9000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रतिमिनट और 30 शब्द प्रतिमिनट) ।	आयु – नहीं शैक्षिक अर्हता- हाँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: पदधारी को परिवीक्षा के सफल समापन के लिए, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथा विहित दो से चार सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रशिक्षण को पूरा करना होगा।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : ऐसे कैंटीन परिचर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु. 18000-56900/-) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, जिनके पास सीधे भर्ती के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हता है और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थानों से संगठनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखा पद्धति के संबंध में दो सप्ताह का प्रशिक्षण किया हो ।

टिप्पण-1: ऐसे कैंटीन परिचर जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को उस हैसियत में हैं, प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे यदि उनके पास मैट्रिकुलेशन की शैक्षिक अर्हता सहित टंकण का ज्ञान है ।

टिप्पण-2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येषठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति :- केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -

क. (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 1 (18000-56900 रु.) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और

ख. जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे, भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित शैक्षकि अर्हता है।

टिप्पण-1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उपसचिव / संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष (2) अवर सचिव (साधारण शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग -सदस्य (3) अवर सचिव (भर्ती शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (1) उपसचिव / संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (2) अवर सचिव (साधारण शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य (3) अवर सचिव (भर्ती शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. हलवाई-सह-रसोइया	04*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700 - 69100/-)।	अचयन।	18 और 25 वर्ष के बीच। **टिप्पण-1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति की बाबत 45 वर्ष तक) की जा सकती है। **टिप्पण-2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण सहित खानपान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा। (ii) अनुभव- सभी प्रकार के भारतीय शाकाहारी और मांशाहारी खाना बनाने का दो वर्ष का अनुभव । (iii) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा खाना पकाने सहित स्वच्छता आदि के रखरखाव के लिए व्यावसायिक कौशल परीक्षण आयोजित किया जाएगा। **टिप्पण–** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** पदधारी को परिवीक्षा के सफल समापन के लिए, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथा विहित दो से चार सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रशिक्षण को पूरा करना होगा।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु. 19900-63200/-) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येषठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पुरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 2 (19900-63200 रु.) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ और अनुभव हैं: (i) किसी मान्याप्राप्त बोर्ड से 10 वी कक्षा उत्तीर्ण के साथ खानपान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा (ii) किसी सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रम में दो वर्ष। **टिप्पण-1 :** प्रतिनियुक्त की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण-2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण-3 **:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उपसचिव / संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा का भारसाधक),	लागू नहीं होता।

संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष (2) अवर सचिव (साधारण शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग -सदस्य (3) अवर सचिव (भर्ती शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (1) उपसचिव / संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (2) अवर सचिव (साधारण शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग -सदस्य (3) अवर सचिव (भर्ती शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक हलवाई-सह-रसोइया	04*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900 - 63200/- रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)
प्रोन्नति : ऐसे कैंटीन परिचर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु. 18000-56900/-) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा खाना पकाने सहित स्वच्छता आदि के रखरखाव के लिए व्यावसायिक कौशल परीक्षण आयोजित किया जाएगा। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येषठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पुरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 1 (18000-56900/- रु.) में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की अर्हता सहित खानपान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा और हलवाई-सह-रसोइया के सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव हो और खाना पकाने सहित स्वच्छता आदि के रखरखाव के लिए व्यावसायिक कौशल परीक्षण के अर्हता के

अध्यधीन हो ।   **टिप्पण-1** : प्रतिनियुक्त की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।   **टिप्पण-2 :** ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीढ़ी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।   **टिप्पण-3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उपसचिव/संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (2) अवर सचिव (साधारण शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य (3) अवर सचिव (भर्ती शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. कैंटीन परिचर	24*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000 - 56900/- रु.)	लागू नहीं होता।	18 और 25 वर्ष के बीच। **टिप्पण-1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति की बाबत 45 वर्ष तक) की जा सकती है। **टिप्पण-2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। **वांछनीय :** (i) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। (ii) होटेल प्रबंध /आतिथ्य प्रबंध / खाना पकाने / खानपान / खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** पदधारी को परिवीक्षा के सफल समापन के लिए, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथा विहित दो से चार सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रशिक्षण को पूरा करना होगा।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधे भर्ती।	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) उपसचिव/संयुक्त सचिव (प्रशासन शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (2) अवर सचिव (साधारण शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य (3) अवर सचिव (भर्ती शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 39021/04/2019-स्था. (बी)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCE AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 1st November, 2021

G.S.R. 131.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission, Departmental Canteen, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2002, in so far as they relate to the post of Cashier, Storekeeper, Canteen Clerk, Halwai, Cook, Assistant Halwai, Bearer, Tea/Coffee Maker, Wash Boy and Safai Karmachari, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group C posts in the Departmental Canteen of the Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Departmental Canteen, Group C posts Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .- The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. Assistant Manager-cum-Store Keeper.	2* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial	Level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix	Non-Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by deputation.	**Promotion: -** (i) Clerks with eight years of regular service in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200); or (ii) Halwai-cum-Cook with five years of regular service in level 3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) with two years experience in handling Stores or Accounts and having passed 12th Class from a recognised Board. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation:- Officers of the Central Government, – (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years regular service in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-

				63200); and (b) possessing the educational qualifications and experience as under: (i)12th class passed from a recognised Board; and (ii) Possessing Three years' experience in a Government Department or Public Sector Undertaking in handling Stores or Accounts. **Note 1**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The department officials in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Deputy Secretary/Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission — Chairman (2) Under Secretary (in charge of General Branch), Union Public Service Commission — Member (3) Under Secretary (in charge of Recruitment Branch), Union Public Service Commission — Member.	Not applicable.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2. Clerk	6* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix	Non-selection.	Between 18 and 25 years. **Note 1:** Relaxable up to 40 years (up to 45 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Government Servants) in accordance with the orders issued by the Central Government from

					time to time. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be specified by Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) 12th Class pass from a recognised Board; and (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depression per Hour or 9000 Key Depression per Hour on an average of 5 key depressions for each word).	Age – No Educational Qualification - Yes	Two years for direct recruits. **Note:** For successful completion of probation, the incumbent has to complete mandatory induction training of two to four weeks duration as prescribed by administrative ministry.	(i) Fifty per cent by promotion, failing which by deputation; and (ii) Fifty per cent by direct recruitment.	**Promotion :** Canteen Attendant with three years regular service in level 1 in pay matrix (Rs. 18000-56900) possessing Educational qualification as prescribed for direct recruitment and having undergone a two weeks training on organisational behaviour, communication skills and accounting practices from Institute of Secretariat Training and Management or any other recognised Institutes. **Note 1:-** Canteen Attendants, who are in position as on the date of notification of these rules, shall be eligible for promotion if they possess Educational qualification of matriculation with knowledge of typing. **Note 2:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government - (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years regular service in level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) and (b) possessing educational qualification as prescribed for direct recruit under column (7). **Note 1:-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:-** The department officials in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for

				consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Deputy Secretary/Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission — Chairman (2) Under Secretary (in charge of General Branch), Union Public Service Commission — Member (3) Under Secretary (in charge of Recruitment Branch), Union Public Service Commission — Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Deputy Secretary/Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission — Chairman (2) Under Secretary (in charge of General Branch), Union Public Service Commission — Member (3) Under Secretary (in charge of Recruitment Branch), Union Public Service Commission — Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Halwai-cum-Cook.	4* (2021) *Subject to Variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level 3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix.	Non-selection.	Between 18 and 25 years. **Note 1:** Relaxable up to 40 years (up to 45 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Government Servants) in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be specified by Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) 10th Class pass with a certificate or diploma in catering. (ii) Experience – Two years experience of cooking all types of vegetarian and non-vegetarian Indian	Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note:** For successful completion of probation, the incumbent has to complete	(i) Fifty per cent by promotion, failing which by deputation; and (ii) Fifty per cent by direct	**Promotion:** Assistant Halwai-cum-Cook with three years regular service in level 2 in pay matrix (Rs. 19900-63200). **Note :-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of

food. (iii) A Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene etc. shall be conducted by Staff Selection Commission. **Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates belonging to SC/ST if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		mandatory induction training of two to four weeks duration as prescribed by administrative ministry.	recruitment.	the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation:- Officers of the Central Government,– (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department, or (ii) Assistant Halwai-cum-Cook in departmental canteens with three years regular service in the level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200), and b)possessing the following qualifications and experience:- (i) 10th Class pass from a recognised Board with a certificate or diploma in catering. (ii) two years in a Government Department or Government Undertaking. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The department officials in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Deputy Secretary/Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission — Chairman (2) Under Secretary (in charge of General Branch), Union Public Service Commission — Member (3) Under Secretary (in charge of Recruitment Branch), Union Public Service Commission — Member.	Not applicable.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Deputy Secretary/Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission — Chairman (2) Under Secretary (in charge of General Branch), Union Public Service Commission — Member (3) Under Secretary (in charge of Recruitment Branch), Union Public Service Commission — Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Halwai-cum-Cook.	4* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix.	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion, failing which by deputation.	**Promotion: -** Canteen Attendant in level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) with three years regular service. A trade skill test for cooking including maintenance of hygiene etc. shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with at least three years regular service in the level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900); and (b) possessing the qualification of 10th Class pass along with a certificate or diploma in catering and having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook and subject to qualifying a trade skill test for cooking including maintenance of hygiene etc. **Note 1**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre

				post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**: The department officials who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Deputy Secretary/Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission — Chairman (2) Under Secretary (in charge of General Branch), Union Public Service Commission — Member (3) Under Secretary (in charge of Recruitment Branch), Union Public Service Commission — Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Canteen Attendant.	24* (2021) *Subject to Variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level 1 (Rs. 18,000 – 56,900) in the pay matrix.	Not-applicable.	Between 18 and 25 years. **Note 1:** Relaxable up to 40 years (up to 45 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Government Servants) in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be specified by Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: (i) Matriculation or equivalent from recognised board.	Not applicable.	Two years. **Note:** For successful completion of probation, the	Direct recruitment through Staff Selection	Not applicable.

Desirable: (i) One year's experience in the relevant field. (ii) Certificate/ Diploma possessed in the field of Hotel Management/ Hospitality Management/ Cooking/ Catering/ Food Processing.		incumbent has to complete mandatory induction training of two to four weeks duration as prescribed by administrative ministry.	Commission.	

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Deputy Secretary/Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission — Chairman (2) Under Secretary (in charge of General Branch), Union Public Service Commission — Member (3) Under Secretary (in charge of Recruitment Branch), Union Public Service Commission — Member.	Not applicable.

[F. No. 39021/04/2019-Estt. (B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा माध्यम) भर्ती नियम 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में ज्येष्ठ अनुसन्धान अधिकारी (भाषा माध्यम) समूह 'क' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा माध्यम) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या